REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 12 | ISSUE - 4 | JANUARY - 2023

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का कार्यान्वयन

कोमल प्रसाद[1] , डॉ. राजभानु पटेल[2]
[1]शोधार्थी
[2]सहा. प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग,गुरू घासीदास विश्वविद्यालय,बिलासपुर (छ.ग.).

शोध सार –

स्वतंत्रता के तुरंत बाद शरणार्थियों के पुनर्वास के साथ देश में सार्वजनिक आवास कार्यक्रम शुरू किया गया और तब से अब तक गरीबी उपशमन के साधन के रूप में यह सरकार का प्रमुख फोकस क्षेत्र रहा है। जनवरी 1996 में एक स्वतंत्र कार्यक्रम के रूप में इंदिरा आवास योजना नामक ग्रामीण आवास कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम में अनेक प्रकार की कमियां थीं। ग्रामीण आवास कार्यक्रम में इन कमियों को दूर करने के लिए और 2022 तक सभी को मकान उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए इंदिरा आवास योजना को 01.04.2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई–ग्रामीण) में पुनर्गठित कर दिया गया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 03.01.2023 तक कुल पंजीकृत आवासों की संख्या 30157874 है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लक्ष्य 29414606 रहा जो अब तक 20980065 आवास पूर्ण किये जा चुके हैं जो कि कुल लक्ष्य का 71.33 प्रतिशत है।

प्रस्तावना –

भारत के ग्रामीण इलाकों में आज भी लाखों परिवार कच्चे मकान में रहते हैं। गांव में रहने वाले लोग गरीबी के कारण अपना पक्का मकान नहीं बना पाते हैं। वे अपना खुद का पक्का घर बनाना चाहते हैं लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे अपने पक्के घर का सपना पूरा नहीं कर पाते हैं और पूरी जिन्दगी कच्चे मकान में बीता देते हैं। उनके इसी सपने को पूरा करने का जिम्मा केन्द्र सरकार ने उठाया है। केन्द्र सरकार ग्रामीण इलाकों में रहने वालों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (PMAY- Pradhanmantri Awas Yojana-Gramin) लेकर आई है। महंगाई के इस दौर में ग्रामीण जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं वे भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (PMAY- Pradhanmantri Awas Yojana-Gramin) का लाभ ले सकते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को पक्के मकान देने के उद्देश्य से भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा वर्ष 2015 में पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना (IAY) का पुनर्गठन कर उसे प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (Pradhanmantri Awas Yojana-Gramin) के नाम से इसकी शुरूआत की है।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (Pradhanmantri Awas Yojana-Gramin) योजना के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए खुद का पक्का मकान बनाने के लिए तथा पुराने घर की मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसके साथ ही उन्हें पक्का

शौचालय बनाने में भी मदद दी जाएगी। ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा मुहिम चलाई जा रही है कि देश में जितने भी कच्चे मकान में निवास कर रहे हैं या जो बेघर हैं उनको इस येाजना का लाभ दिया जाएगा और पक्के घर का निर्माण करवा सकते हैं और जिनके भी कच्चे घर हैं उनको पक्के घर के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कराना है। 1 करोड़ लोगों को इस योजना में शामिल किय जाएगा। इस योजना में पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए 1 लाख 30 हजार रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी और मैदानी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को 1 लाख 20 हजार रूपये दिए जायेंगे।

इस योजना में लाभार्थियों का चयन 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। 1 करोड़ पक्के घर उपलब्ध कराए जायेंगे। और साथ ही जिन उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा सरकार की तरफ से उनके खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर कर दिए जायेंगे। इस धनराशि के जरिए लोगों को अपने घर बनाने का सपना पूरा होगा।

अध्ययन का उद्देश्य –

प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यान्वयन का पता लगाना।

शोध प्राविधि–

प्रस्तुत अध्ययन द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है।

ग्रामीण आवास योजना की लागत –

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (Pradhanmantri Awas Yojana-Gramin) के अंतर्गत 1 करोड़ मकानों के लिए 1,30,075 करोड़ रूपये बजट की घोषणा की गई है। इस बजट को राज्य तथा केन्द्र सरकार 60:40 के अनुपात पर वहन करती है। पूर्वोत्तर में जम्मू–कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के मामले में यह अनुपात 90:10 किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (Pradhanmantri Awas Yojana-Gramin) के केन्द्रशासित राज्यों में पूरी लागत केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। योजना के अंतर्गत कुल बजट का लागत केन्द्रीय अंश 81,975 करोड़ रूपये होगा जिसमें से 60 हजार करोड़ रूपये की पूर्ति बजटीय सहायता से की जाएगी और बाकि 21,975 करोड़ रूपये की पूर्ति राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से कर्ज लेकर की जाएगी और बजटीय अनुदान से इसका परिशोधन किया जाएगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की ब्याज दर –

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अंतर्गत देश के जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग जो अपना घर बनाना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं। इस स्थिति में वे लोग छः लाख रूपये तक का सालाना ब्याद 6 फीसदी दर पर ले सकते हैं। यदि आपको अपने घर बनाने के लिए अधिक पैसे की आवश्यकता होगी तो इस स्थिति में अतिरिक्त रकम पर ब्याज दर पर भी लोन ले सकते हैं। जो भी उम्मीदवार अपने होम लोन और ब्याज दर को केल्कुलेट करनेा चाहते हैं जो वे ब्याज दर के हिसाब से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मासिक किश्त की गणना कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया बहुत ही आसान है। हम आपको नीचे कुछ चरणों में इसकी प्रक्रिया बता रहे हैं। आप दिए हुए स्टेप्स फॉलो करें।

(1) सबसे पहले उम्मीदवार इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
(2) उसके बाद आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुल जाएगा।
(3) इस पेज पर आपको सब्सिडी केल्कुलेटर के विकल्प पर क्लिक करें।
(4) विकल्प पर क्लिक करने के बाद अगली पेज पर पहुंच जाएं। इस पेज में आपको लोक की रकम, लोन की अवधि, ब्याज दर आदि जानकारी दर्ज करने पर उम्मीदवार को सब्सिडी की रकम के बारे में पता चल जाएगा।

पीएम ग्रामीण आवास योजना के कंपोनेंट्स –

Credit linked subsidy scheme- क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत सरकार के द्वारा जो भी होम लोन के लिए अप्लाई करेंगे उन्हें सब्सिडी दी जाएगी। आपको बता दें ये सब्सिडी सभी वर्गों के लिए अलग–अलग मुहैया कराई जाएगी।
साझेदारी में किफायती आवास – इस योजना में जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार हैं यदि वे अपने लिए घर खरीदते हैं तो केन्द्र सरकार की तरफ से 1,50,000 रूपये की राशि दी जाएगी।
लाभार्थियों के नेतृत्व में व्यक्तिगत घर का निर्माण और वृद्धि – इस स्कीम के अंतर्गत घर के निर्माण या घर की वृद्धि के लिए सरकार द्वारा लाभार्थी परिवार को डेढ़ लाख की राषि दी जाएगी।
सीटू स्लम पुनर्विकास में – इस योजना के तहत स्लम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को घर मुहैया कराए जायेंगे। केन्द्र सरकार द्वारा और अन्य सरकारी संस्थानों के माध्यम से भूमि ले साथ बस्तियों का भी पुनर्वास कराया जाएगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (PMAYG) के उद्देश्य –

– आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीणों की मदद करना।
– ग्रामीण लोगों की मदद कर उनको पक्के घर उपलब्ध कराना।
– 2022 तक 1 करोड़ पक्के घर देना।
– पक्के घर का सपना पूरा करना।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (PMAYG) की विशेषताएं –

- ग्रामीण आवास योजना के अनुसार, केन्द्र सरकार समतल भूमि पर पक्का घर बनाने के लिए 1.20 लाख की धनराशि की सहायता देगी और वहीं पहाड़ी क्षेत्र में घर बनाने के लिए 1.30 लाख की आर्थिक मदद करेगी सरकार।
- PMAY-G के तहत आप दो लाख रूपये तक का होम लोन ले सकते हैं।
- इस योजना के तहत आप 6 लाख रूपये का लोन सालाना 6.5 फीसदी तक की ब्याद दद पर ले सकते हैं।
- इस योजना की कुल लागत 1,30,075 करोड़ रूपये की है जो केन्द्र सरकार और राज्य सरकार 60:40 के अनुपात में ग्रहण करेगी।
- ग्रामीण आवास योजना–2023 के अंतर्गत रसोई हेतु क्षेत्र शामिल करने के लिए आवास निर्माण के लिए जगह हो 20 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 25 वर्गमीटर किया जाएगा।
- शौचालय के निर्माण के लिए भी आपको स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण के तहत केन्द्र सरकार की तरफ से 12,000 रूपये की धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है।
- पाइप के जरिए पेयजल आपूर्ति, बिजली कनेक्शन, एलपीजी गैस कनेक्शन इत्यादि के लिए विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से भी प्रयास किया जाता है।
- इस स्कीम के लाभार्थी के घर से निकलने वाले सूखे–गीले कचरे का प्रबंधन भी सरकार करती है।

पीएम ग्रामीण आवास योजना में लाभार्थी का चयन–

- इस योजना के तहत अनुसूची जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग और ऐसे प्रत्येक श्रेणी के परिवारों के 1 या 2 कमरों से अधिक वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी।
- पीएम आवास ग्रामीण योजना के अंतर्गत SECC 2011 के अनुसार बिना आवास वाले लाभार्थियों का चयन या निर्धारण किया जायेगा।
- इस योजना के तहत उन लाभार्थियों का चयन SECC 2011 के आंकड़ों के अनुसार पहली प्राथमिकता बिना आवास के या कच्चे कमरे छत और दीवारों वाले घरों में रहने वाले लोगो को दी जाएगी।

- योग्य लाभार्थियों में सबसे पहले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग और अन्य ऐसे लोग जो बेघर है या कच्चे मकान में निवास कर रहे है उन्हें योजना के अंतर्गत सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAY-G) का लाभ–

1. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
2. मुक्त बंधुआ मजदूर
3. रिटायर और कार्रवाई में शहीद हुए रक्षा कर्मियों
4. अर्धसैनिक बलों के सैनिकों की विधवाओं और आश्रित–परिजन
5. विकलांग व्यक्ति तथा अल्पसंख्यक
6. अनुसूचित जाति
7. अनुसूचित जनजाति
8. कम आय वाले लोग

लाभार्थी का प्रकार– किसान, महिला, पुरुष ,बेरोजगार, स्वरोजगार, परित्यक्ता, विधवा, विधुर, ग्रामीण, वृद्ध, खिलाडी, दिव्यांग, बुनकर, निःशक्त, अंत्योदय परिवार, पशुपालक, प्रशिक्षणार्थी, बेसहारा, बंधुआ मजदुर, दंपत्ति, शिल्पी, बुनकर, बालिक नागरिक, बी.पी.एल. कार्डधारी, महिला एवं पुरूष पशुपालक लाभार्थी, शासकीय सेवा में कार्यरत न हो, आयकरदाता न हो।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMGAY) की पात्रता–

इस योजना की पात्रता के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा जो कि इस प्रकार है–

- आवेदक भारतीय निवासी होना चाहिए।
- PM Gramin Awas Yojana 2023 के तहत ऐसे परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क सदस्य नहीं होना चाहिए ।
- ऐसे परिवार जिनमें मुखिया महिला सदस्य है। वो भी योजना का लाभ ले सकते हैं।
- ऐसे परिवार जिसमे 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई साक्षर वयस्क सदस्य नहीं होना चाहिए ।
- अगर परिवार का कोई सदस्य सरकारी विभाग में कार्यरत है। तो इस आवेदन नहीं कर सकते।
- दिहाड़ी मजदूरी करने वाले भूमिहीन परिवार
- कच्चे मिटटी के मकान में रहने वाले आर्थिक रूप से गरीब परिवार योजना में आवेदन करने के लिए पात्र है।
- पीएम आवास योजना के तहत परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रूपये से 6 लाख तक होनी चाहिए।
- ऐसे परिवार जिनमे कोई सदस्य निशक्त हो या वो शारीरिक रूप से सक्षम ना हो।
- यदि व्यक्ति के द्वारा पहले ऐसी किसी योजना का कोई लाभ प्राप्त किया गया है तो वह पीएम ग्रामीण आवास योजना में आवेदन करने हेतु पात्र नहीं माने जायेंगे।

PMAY-G के लिए आवश्यक डाक्यूमेंट्स –

- भरे हुए PMAY-G आवेदन फॉर्म
- आईडी प्रूफ (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, आदि)
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण
- एड्रेस प्रूफ

- 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट
- अगर आवेदक व्यवसाय में शामिल है तो व्यवसाय की जानकारी
- निर्माण की योजना
- निर्माण की लागत का क्लेम करने वाला प्रमाण पत्र
- एक शपथ पत्र जिस में यह प्रमाणित किया जाए कि न तो आवेदक और न ही उसके परिवार के सदस्यों के पास पक्के मकान हैं
- बिल्डर को किए गए किसी भी एडवांस भुगतान की रसीद
- Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana 2023 के अंतर्गत ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनो प्रकार से आवेदन किए जा सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया–

सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 की आवास की पात्रता सूची एवं आवासप्लस की पात्रता सूची से स्थाई प्रतीक्षा सूची तैयार कर वरीयता क्रम निर्धारित किया जाता है तथा उसका सत्यापन कराया जाता है। वर्गवार ग्रामपंचायतवार प्राप्त लक्ष्य के अनुसार यदि हितग्राही का नाम वरीयता क्रम के शामिल होता है तो हितग्राही को राशि निम्नालिखित प्रक्रिया के माध्यम से जारी की जाती है–

1. हितग्राही का पंजीयन जनपद पंचायत स्तार से आवाससाफट पर किया जाता है।
2. जिला स्तर से आवास की स्वीकृति प्रदान किया जाना।
3. जनपद पंचायत स्तर से एफटीओ की आर्डरशीट बनाई जाकर प्रथम एवं द्वितीय सिंग्नेचरी के डिजिटल साईन के माध्यम से राशि खाते में हस्तांतरित की जाती है।

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया –

– सबसे पहले आवेदक को विभाग द्वारा दी गई अधिकारिक वेबसाइट https//pmayg-nic-in/ पर जाना होगा।

– यहां चुने PMAY ग्रामीण/rural ऑनलाइन आवेदन।

– यहां पर पंचायत से प्राप्त username और password डाल कर लॉगिन करें।

– इसके बाद PMAY-G ऑनलाइन आवेदन पत्र पर जाकर आवेदन करें।

– अंत में मांगे गए दस्तावेजों को attach करें, और अपना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण करें।

– इस तरह आप प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में आवेदन फॉर्म भर कर आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया –

ऑफलाइन के लिए क्षेत्रीय पंचायत तथा जनसेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से आवेदन कर सकते है। इसके लिए आप अपने ग्राम पंचायत या सरपंच से संपर्क करें।

हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया/हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था/वित्तीय प्रावधान–

हितग्राही को 1.20 लाख(आईएपी जिलों में 1.30 लाख)04 किश्तों में जारी की जाती है। आवास स्वीकृति पश्चात प्रथम किश्त की राशि रू 25 हजार प्लिंथ स्तर के आवास करने के पश्चात राशि रू 40 हजार (आईएपी जिलों में रू 45 हजार) लिंटल स्तर के आवास करने के पश्चात राशि रू 40 हजार (आईएपी जिलों में रू 45 हजार) आवास पूर्ण करने के पश्चात राशि रू 15 हजार जनपद पंचायत के प्रथम सिग्नेचरी (लेखाधिकारी) एंव द्वितीय सिग्नेचरी (मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत) द्वारा FTO के माध्यम से सीधे हितग्राही के खाते में जारी की जाती है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना से जुड़ा हेल्पलाइन नंबर –

यदि आपको इस योजना से जुडी कुछ भी जानकारी चाहिए या कोई भी समस्या है तो आप नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर पर सम्पर्क कर सकते है और आप ई–मेल पर भी मेसेज कर सकते है।

– टोल फ्री नंबर – 1800–11–6446
– ई–मेल आईडी – support-pmayg@gov-in
– Pradhan Mantri Awaas Yojana Gramin (Summary)
– योजना का नाम– प्रधान मंत्री आवास योजना–ग्रामीण
– संबंधित विभाग– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
– योजना आरंभ की तिथि– वर्ष 2015
– उद्देश्य– House For all
– योजना का प्रकार– Central Govt- Scheme
– लाभार्थी चयन SECC–2011 Beneficiary
– अनुदान राशि– 120000
– राज्य का नाम– छत्तीसगढ़
– जिला– सभी जिला
– आधिकारिक वेबसाइट pmayg-nic-in
– PMAYG Technical Helpline Number 1800–11–6446

पंजीकृत घरों की रिपोर्ट–03–01–2023 तक

S.N.	State Name	Registered
	Total	**30157874**
1	ARUNACHAL PRADESH	36162
2	ASSAM	1628497
3	BIHAR	4226962
4	CHHATTISGARH	1220955
5	GOA	280
6	GUJARAT	633786
7	HARYANA	32282
8	HIMACHAL PRADESH	15552
9	JAMMU AND KASHMIR	235256
10	JHARKHAND	1629873
11	KERALA	36769
12	MADHYA PRADESH	4426713
13	MAHARASHTRA	1556953
14	MANIPUR	54041
15	MEGHALAYA	68241
16	MIZORAM	21266
17	NAGALAND	28294
18	ODISHA	2818593
19	PUNJAB	61082
20	RAJASTHAN	1771265
21	SIKKIM	1384
22	TAMIL NADU	825412
23	TRIPURA	338133

24	UTTAR PRADESH	3093039
25	UTTARAKHAND	71061
26	WEST BENGAL	4885659
27	ANDAMAN AND NICOBAR	1576
28	DADRA AND NAGAR HAVELI	5617
29	DAMAN AND DIU	50
30	LAKSHADWEEP	56
31	PUDUCHERRY	0
32	ANDHRA PRADESH	234669
33	KARNATAKA	196239
34	TELANGANA	0
35	LADAKH	2157
	Total	**30157874**

Source- ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण

ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार दिना¡क 03.01.2023 तक कुल पंजी—त आवासों की संख्या 30157874 है जिसमें सबसे ज्यादा पंजी—त आवासों की संख्या पश्चिम बंगाल में है।

Table-2 प्रधानमंत्री आवास योजना का ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार का लक्ष्य तथा प्राप्तियां

S.N.	State Name	MoRD Target	Completed	Percentage of Completion against MoRD Target
	Total	**29414606**	**20980065**	**71.33**
1	ARUNACHAL PRADESH	38384	10092	26.29
2	ASSAM	2084070	703096	33.74
3	BIHAR	3862734	3349184	86.71
4	CHHATTISGARH	1176150	833249	70.85
5	GOA	1707	140	8.2
6	GUJARAT	633772	399766	63.08
7	HARYANA	30789	21607	70.18
8	HIMACHAL PRADESH	15483	11346	73.28
9	JAMMU AND KASHMIR	201230	109855	54.59
10	JHARKHAND	1603268	1380768	86.12
11	KERALA	42212	25155	59.59
12	MADHYA PRADESH	3789400	3116665	82.25
13	MAHARASHTRA	1471359	911295	61.94
14	MANIPUR	46166	18151	39.32
15	MEGHALAYA	80848	34493	42.66
16	MIZORAM	20518	6171	30.08
17	NAGALAND	24775	5230	21.11
18	ODISHA	2695837	1708162	63.36
19	PUNJAB	41117	24943	60.66
20	RAJASTHAN	1733959	1492650	86.08
21	SIKKIM	1409	1093	77.57
22	TAMIL NADU	817439	468761	57.35
23	TRIPURA	282238	187684	66.5
24	UTTAR PRADESH	3478718	2588864	74.42
25	UTTARAKHAND	47654	27706	58.14

26	WEST BENGAL	4618847	3389841	73.39
27	ANDAMAN AND NICOBAR	1631	1170	71.74
28	DADRA AND NAGAR HAVELI	6763	3035	44.88
29	DAMAN AND DIU	68	13	19.12
30	LAKSHADWEEP	53	44	83.02
31	PUDUCHERRY	0	0	0
32	ANDHRA PRADESH	256270	46732	18.24
33	KARNATAKA	307746	101675	33.04
34	TELANGANA	0	0	0
35	LADAKH	1992	1429	71.74
	Total	**29414606**	**20980065**	**71.33**

Source- ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण

प्रधानमंत्री आवास योजना के लक्ष्य को पूरा करने में अगर प्रतिशत में देखा जाए तो सभी राज्यों में इस योजना का 71.33 प्रतिशत कार्य पूरा हुआ है तथा समस्त राज्यों में से बिहार राज्य 86.71 प्रतिशत है जो सबसे अधिक प्रतिशत कार्यों को पूर्ण। किया है।

Table 3 . विभिन्न वित्तीय वर्षो में पूर्ण किये गए आवासीय कार्यों का विवरण

		Total Houses completed in Financial Year:										
SN	**State Name**	**2014 - 2015**	**2015 - 2016**	**2016 - 2017**	**2017-2018**	**2018-2019**	**2019-2020**	**2020-2021**	**2021-2022**	**2022-2023**	**2016-2023**	**2014-2023**
	Total	**0**	**0**	**2115**	**3815952**	**4472389**	**2128843**	**3399499**	**4239482**	**2921784**	**20980064**	**20980064**
1	**ARUNACHAL PRADESH**	0	0	0	0	85	747	2417	992	5851	10092	10092
2	**ASSAM**	0	0	4	26059	159017	84009	130879	117694	185434	703096	703096
3	**BIHAR**	0	0	1	28135	581827	376216	942615	508363	912027	3349184	3349184
4	**CHHATTISGARH**	0	0	136	365867	341378	34587	59684	23289	8308	833249	833249
5	**GOA**	0	0	0	0	22	3	87	19	9	140	140
6	**GUJARAT**	0	0	12	95280	83096	35589	50742	77282	57765	399766	399766
7	**HARYANA**	0	0	1	6675	5961	6670	1215	263	822	21607	21607
8	**HIMACHAL PRADESH**	0	0	1	3504	3096	447	605	1884	1809	11346	11346
9	**JAMMU AND KASHMIR**	0	0	0	1979	14441	5610	21745	42569	24939	111283	111283
10	**JHARKHAND**	0	0	25	188296	272678	156974	235013	295041	232741	1380768	1380768
11	**KERALA**	0	0	48	9444	6519	779	686	2440	5239	25155	25155
12	**MADHYA PRADESH**	0	0	152	636338	679294	271273	260964	605954	662690	3116665	3116665
13	**MAHARASHTRA**	0	0	219	145630	201968	92276	181756	179021	110425	911295	911295
14	**MANIPUR**	0	0	0	66	7655	1151	2379	3626	3274	18151	18151
15	**MEGHALAYA**	0	0	0	260	11329	4995	5016	7009	5884	34493	34493
16	**MIZORAM**	0	0	0	1333	900	997	1123	1158	660	6171	6171
17	**NAGALAND**	0	0	0	0	17	3687	535	0	991	5230	5230
18	**ODISHA**	0	0	443	431669	403127	361187	395106	97143	19487	1708162	1708162
19	**PUNJAB**	0	0	0	608	12751	410	3908	5473	1793	24943	24943
20	**RAJASTHAN**	0	0	108	317728	326594	166764	315481	141346	224629	1492650	1492650
21	**SIKKIM**	0	0	0	372	646	34	13	5	23	1093	1093
22	**TAMIL NADU**	0	0	0	78680	104388	49986	51868	57322	126517	468761	468761
23	**TRIPURA**	0	0	0	3333	20690	6155	15462	1639	140405	187684	187684
24	**UTTAR PRADESH**	0	0	14	817001	426571	174166	37710	1094654	38748	2588864	2588864
25	**UTTARAKHAND**	0	0	4	6236	5925	192	19	3844	11486	27706	27706
26	**WEST BENGAL**	0	0	30	589790	739777	286333	678583	959230	136098	3389841	3389841
27	**ANDAMAN AND NICOBAR**	0	0	0	0	0	286	483	335	66	1170	1170
28	**DADRA AND NAGAR HAVELI**	0	0	0	1	196	221	972	641	1004	3035	3035
29	**DAMAN AND DIU**	0	0	0	6	7	0	0	0	0	13	13
30	**LAKSHADWEEP**	0	0	0	0	0	9	28	7	0	44	44
31	**PUDUCHERRY**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	**ANDHRA**	0	0	681	27347	18674	5	0	0	25	46732	46732

	PRADESH										
33	KARNATAKA	0	0	236	34315	43760	7085	2405	11239	2635	101675	101675
34	TELANGANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**0**	**0**	**2115**	**3815952**	**4472389**	**2128843**	**3399499**	**4239482**	**2921784**	**20980064**	**20980064**

Source–ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण

प्रधानमंत्री आवास योजना विभिन्न वित्तीय वर्षों का आंकलन किया जाए तो सबसे अधिक वित्तीय वर्ष 2018–19 में आवासों का निर्माण किया गया है।

निष्कर्ष –

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार दिनाँक 03.01.2023 तक कुल पंजीकृत आवासों की संख्या 30157874 है जिसमें सर्वाधिक पंजीकृत आवासों की संख्या पश्चिम बंगाल में है। सभी राज्यों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के लक्ष्य का कुल 71.33 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है तथा समस्त राज्यों में से बिहार राज्य द्वारा सर्वाधिक लक्ष्य पूर्ति करते हुए 86.71 प्रतिशत कार्यों को पूर्ण किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना विभिन्न वित्तीय वर्षों का आंकलन किया जाए तो सबसे अधिक वित्तीय वर्ष 2018–19 में आवासों का निर्माण किया गया है।

संदर्भ–सूची

1. Dwivedi, R.M. (2007), Urban Development and Housing in India from 1947 to 2007 New Delhi; New Century Publications.
2. Gopinath (1988) 'Ownership of flats; Sai Ganesh offset printers – Santhome Madras 4 pp. 1-4
3. Gorangadi (1992), Focus on Housing – Shelter for Millions "Do you have the Money?" Manora Year Book, p. 381
4. Hui, F.C.M. and Zheng. X, (2010), "Measuring customer satisfation of Financial Management service in the housing sector; a structural equation model approach." Facilities, vol.28 No.5/6, pages 306-320
5. Jerome Rothenberg, George C. Galster, Richard V. Butler, and John R. Pitkin (1988) , The Maze of Urban Housing Markets, Theory, Evidence and Polity. University of Chicago Press: Chicago. pp 549
6. Kour (2012), Housing Conditions and Quality of Life of the Urban Poor in Malaysia, Procedin Social and Behavioural Sciences, Vol. 50. Pp. 827-838.
7. Kohli, V. (2007), Housing Finance Agencies in India, New Delhi; Deep and Deep Publications Pvt. Ltd.
8. Kohn, D. (2010), Housing Finance in Emerging Markets Connecting to Low Income Groups to Market editors; Springer Heidelberg Dordrecht Publication.
9. Web.-pmayg-nic-in